पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बुधवार, दिनांक 22.06.2020 को समय अपराह्न 3.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 25.03.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है) (पृष्ठ 1 से 05 तक)**

02. **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 13.02.2020 एवं 25.03.2020 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।**

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला–महासमुंद	B.Com.-III-All Compulsory Subject	50	2020–21	1. डॉ. डी.के. वर्मा, शासकीय नवीन महावि. खरोरा, जिला–रायपुर 2. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे. यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
	<u>निरीक्षण तिथि – 12.06.2020</u> 1. स्वयं का भवन है। 2. मानदंड के अनुरूप कक्ष उपलब्ध है। 3. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए कोई भी नियमित प्राध्यापक नियुक्ति नहीं है। संविदा आधार पर तीन सहायक प्राध्यापक नियुक्त हैं। 4. ग्रंथालय हेतु पुस्तकों का आदेश दिया गया है, परंतु वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ग्रंथपाल का पद रिक्त है। 5. महाविद्यालय में अन्य सुविधाएँ पर्याप्त हैं। 6. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण समिति द्वारा दिए गए सभी शर्तों को पूर्ण नहीं की गई है। अंशतः पूर्ति की गई। **7. <u>सम्बद्धता हेतु शर्तें/कमियाँ –</u>** (1) नियमित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हो। (2) विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त पुस्तकें क्रय की जाए।				

04. **MCA द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक–85 की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : वर्तमान में MCA-तीन वर्षीय पाठ्यक्रम कम्प्यूटर अध्ययनशाला में संचालित है। AICTE के Approval Hand Book 2020-21 के पृष्ठ क्रमांक–90 पर MCA को दो वर्ष के कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित करने का निर्देश दिया गया है। अतः MCA द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक–85 की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत है। (**प्रपत्र–दो संलग्न है।**)

(विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 27वीं बैठक के पूर्व स्थायी समिति में अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

05. संशोधित अध्यादेश क्रमांक–45 की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

<u>टीप</u> : अध्यादेश क्रमांक–45 **DOCTOR OF PHILOSOPHY** में ऑन लाईन Viva-Voce कराए जाने हेतु अध्यादेश–45 में आवश्यकतानुसार संशोधन प्रस्ताव हेतु चार सदस्यीय समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2020 को आयोजित की गई। यू.जी.सी. के पत्र क्रमांक D.O.No.F.1-1/2020(Secy) Dt. 29th April, 2020 द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार पी–एच.डी. ऑन लाईन Viva-Voce कराए जाने हेतु अध्यादेश क्रमांक 45 में समाहित किया जाना है। (प्रपत्र–दो संलग्न है।)

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 27वीं बैठक के पूर्व स्थायी समिति में अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

06. अध्यादेश क्रमांक–5 एवं 6 की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

<u>टीप</u> : कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. के पत्र क्र. 431/42/आ.उ.शि./सम/2020 दिनांक 03.06. 2020 में उल्लेखित है कि ''दिनांक 02.06.2020 को माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग द्वार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ परीक्षा आयोजन के संबंध में समीक्षा की गई थी। समीक्षा में सभी विश्वविद्यालय द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न विशेष परिस्थिति के कारण परीक्षा आयोजन के संबंध में विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम में संशोधन की अपेक्षा की गई थी। अतः उक्त विषयक नवीन एजेण्डा भी संलग्न प्रपत्र में प्रेषित किए जाने निर्देश दिया गया था।''

उक्त निर्देश के परिपालन में अध्यादेश क्रमांक 5 एवं 6 में केवल शिक्षा सत्र 2019–20 के लिए अध्यादेशों में विशिष्ट प्रावधान हेतु प्रपत्र–दो में संलग्न कर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 27वीं बैठक के पूर्व स्थायी समिति में अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

07. एम.फिल./पी–एच.डी. छात्रों को लघु शोध प्रबंध/शोध प्रबंध जमा करने हेतु छः माह की समय वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

<u>टीप</u> : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अप्रेल, 2020 में परीक्षा तथा अकादमिक कैलेण्डर के लिये गठित समिति की रिपोर्ट, जिसकी कंडिका–10 में कोरोना महामारी के दौरान एम.फिल./पी–एच.डी. छात्रों के लघु शोध प्रबंध/शोध प्रबंध जमा करने की अवधि में छः माह की समय वृद्धि संबंधी टीप निम्नानुसार है :–

The M.Phil. of Ph.D. students, whose maximum period for submission of M.Phil./Ph.D. Dissertation/Thesis prescribed under relevant rules/regulations/ Ordinances of the concerned Universities is exprired/expiring during the Corona pandemic period, may be allowed to submit their Dissertation/Thesis including completion of pending formalities within six months from the date of expiring of regular prescribed period. The period of six months extension will also be applicable in case of all those students who are yet to submit their Dissertation/Thesis.

08. सत्र 2019–20 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक सम्बद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

09. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2020

01. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड में तीन सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

टीप : छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–30(1)(v) में निहित प्रावधान अनुसार विद्यापरिषद् के द्वारा नामांकित तीन विद्वान का कार्यकाल दिनांक 23.06.2020 को पूर्ण हो रहा है :–

(1) डॉ. प्रदीप के सिन्हा, डायरेक्टर, आई.आई.आई.टी. रायपुर

(2) प्रो. रजत मूना, डायरेक्टर, आई.आई.टी. भिलाई

(3) प्रो. भरत भास्कर, डायरेक्टर, आई.आई.एम., रायपुर

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-30(1)(v) में निहित प्रावधान अनुसार विद्यापरिषद् के द्वारा नामांकित तीन विद्वान जो विश्वविद्यालय से संसक्त न हो, का मनोनयन किया जाना है। अतः उपरोक्त तीन विद्वान के स्थान पर, विद्या परिषद् की स्थाई समिति के समक्ष तीन नाम नामांकित किए जाने हेतु प्रस्तुत है।

02. वाणिज्य संकाय की दिनांक 29.02.2020 को संपन्न बैठक के कार्यवृत की अनुशंसा करना।

टीप : कार्यवृत्त की छायप्रति संलग्न है।

03. फार्मेसी संस्थान द्वारा AICTE अनुमोदन withdrawal की सूचना ग्रहण करना।

टीप : फार्मेसी संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को मान्यता ए.आई.सी.टी.ई. एवं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त थी। ए.आई.सी.टी.ई. के Letter for withdrawal of application under chapter 1 for A.Y. 2020-21 के तारतम्य में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 133/Reg./2020 Dated 13-03-2020 द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. को withdrawal letter AICTE वेबसाइट पर अपलोड किया गया, सूचनार्थ प्रस्तुत है।

04. सत्र 2019–20 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक सम्बद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	lh-vkbZ-Vh- ch-,M- dkyst] HkyokMhg] ik-&mijokjk] ftyk&jk;iqj
2	lh-vkbZ-Vh- lkbZl ,.M dkelZ dkyst] xke&HkyokMhg] vHkuiqj] ftyk&jk;iqj